उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U. P POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन ,अशोक मार्ग ,लखनऊ

स0– 2488 –स0प्र0वि0 / पाकालि–26 / 2011- 6 स0वि/2011 दिनांकः 12 अगस्त, 2011

कार्यालय ज्ञाप

कार्यालय ज्ञाप–69–कार्य–14–पाकालि / 11–10के / 2011, दिनांक 18.01.2011 में गठित समिति की संस्तुतियों के अनुपालन में शक्ति भवन एवं शक्ति भवन विस्तार की आग से सुरक्षा हेतु इन भवनों को **'धूम्र पान निषेध क्षेत्र'** घोषित किया जाता है। तद्नुसार आदेशित किया जाता है कि इन भवनों में कार्यरत कार्मिक कमरों में धूपबत्ती / अगरबत्ती आदि कदापि न जलाएँ और न ही बीड़ी / सिगरेट आदि पियें। यदि कोई कार्मिक कक्ष में धूपबत्ती / अगरबत्ती जलाते हुए या सिगरेट पीते हुए पाया जाता है या कक्ष में जलती हुई धूपबत्ती / अगरबत्ती पायी जाती है तो सम्बन्धित कार्मिक तथा सम्बन्धित अनुभाग अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी एवं उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जायेगी।

2. बाहरी ठेकेदार आदि को कार्य हेतु रखे जाने पर उनके संविदा / कार्यादेशों मे इसका उल्लेख किया जाये के उनके कार्मिकों द्वारा बीड़ी / सिगरेट आदि पीते हुए पाये जाने पर वे (ठेकेदार) उत्तरदायी माने जायेंगें एवं उनके बीजक से ऐसी पहली घटना पर रू0 1000 / – (रू0 एक हजार) की कटौती की जायेगी एवं घटना की पुनरावृत्ति पाये जाने पर सम्बन्धित ठेकेदार को काली सूची में डालने हेतु कार्यवाही की जायेगी।

3. संवेदनशील कमरा मानते हुए किसी कमरे में अलग से ताला न लगाया जाए। इसके स्थान पर सम्बन्धित अनुभाग अधिकारी / प्रभारी अपने अनुभाग / कक्ष में तथा अधिकारियों के कमरे में सम्बन्धित अधिकारी / सम्बन्धित अपर निजी सचिव / निजी सचिव / निजी सचिव (विशेष) द्वारा दरवाजे में ताले को बन्द करने के पश्चात पेपर सील लगाया जाये।

निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

स0–2488–स0प्र0वि0 / पाकालि–26 / 2011–तद्दिनांक 12/08/11

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0 / उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 / उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 / उ0प्र0 पावर ट्रासमिशन कार्पोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. समस्त निदेशक गणों के निजी सचिव, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0 / उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 / उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 / उ0प्र0 पावर ट्रासमिशन कार्पोरेशन लि0, शक्ति भवन / शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता / अधीक्षण अभियन्ता / अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0 / उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लि0 / उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 / उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवन / शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

4. समस्त अपर सचिव / संयुक्त सचिव / उप सचिव / अनु सचिव / अनुभाग अधिकारी / कार्मिक अधिकारी / अन्य अधिकारीगण, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0 / उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लि0 / उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 / उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवन / शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (जानपद) पारेषण–।।, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. अधीक्षण अभियन्ता (मुख्यालय), सम्बद्ध मुख्य अभियन्ता (जानपद) पारेषण–।।, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. जन सम्पर्क अधिकारी, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. सहायक अभियन्ता (मुख्यालय), उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. शक्ति भवन एवं शक्ति भवन विस्तार में स्थित समस्त कार्यालय / अनुभाग / शिविर / इकाई।
10. सूचना पट।

आज्ञा से,

05/08/11

(पी0सी0 गुप्ता)

अपर सचिव (का0प्र0–तृतीय)